न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 40/2017 **RCMS 2017/00233**

प्रार्थी

1. किशनलाल पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल उम्र 45 वर्ष निवासी आसपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्यामलाल पुत्र लिछमणराम जाति बावरी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. सोहनलाल पुत्र मेघाराम जाति बावरी निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
3. तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढ़ी व सीमा कायम करने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 128 R.L.R. Act 1956

उपस्थित :– श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता अप्राथी सं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 5/8/2019

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि क़स्बा कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3394/2844 रकबा 0.4045 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि का प्रार्थी काबिज खातेदार कृषक है, प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि तत्कालीन खातेदार श्यामलाल पुत्र पन्नाराम जो कि अप्रार्थी सं. 1 है से खरीद की थी जिसका खातेदारो में आपसी सहमति से बंटवारा करा लिया था, उक्त विधिवत बंटवारा का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण सं. 4619 दिनॉक 12.03.2015 के द्वारा दर्ज है तब से लेकर आज दिन तक प्रार्थी उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता आ रहा है, खसरा नम्बर 3394/2844 के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 2844/1663 की भूमि स्थित है तथा पश्चिम में खसरा नम्बर 1663 की भूमि स्थित है तथा दक्षिण में कुचामनसिटी से ग्राम दीपपुरा जाने वाली आम सड़क स्थित है तथा उत्तर में खींचड़ो का खेत स्थित है, प्रार्थी अपनी खरीदशुदा कब्जा काश्त की भूमि में पक्की दीवार बनाकर सींव कायम करना चाहता है परन्तु

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अप्रार्थीगण प्रार्थी के कार्यो में व्यवधान डालने में निरन्तर रूप से आमदा है, प्रार्थी की खसरा नम्बर 3394/2844 की भूमि के चारो दिशाओ के खातेदार में से पूर्वी दिशा के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा सही नाप–चौक करने मं व्यवधान डाल दिया तथा अप्रार्थी सं. 2 पश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 1663 की भूमि में ताकत के बल पर अपनी भूमि में प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि को मिलाकर सींव–नींव कायम करना चाहता है, प्रार्थी के आवेदन पर प्रार्थी की भूमि के बाबत सीमाकंन दिनॉक 29.06.2017 को पटवारी हल्का मण्डावरा व उसके हमराह सहदेवसिंह व भू.अभिलेख निरीक्षक कुचामनसिटी श्री इन्द्रसिंह ने कुचामनसिटी में सीमाज्ञान रूबरू मौतबिरान किया जिसकी छाया प्रति प्रार्थना–पत्र के संलग्न प्रस्तुत की है, उक्त सीमांकन के अनुसार पत्थरगढ़ी करने बाबत प्रार्थी ने जब अप्रार्थी सं. 1 व 2 को कहा तो उन्होने पत्थरगढ़ी का आदेश लाने पर ही सीमा पर पत्थरगढ़ी की जा सकेगी ऐसा कहा, अप्रार्थीगण सीमांकन के अनुसार पुख्ता निशानात कायम नही करने दे रहे है, प्रार्थी को उसकी पूर्वी दिशा में अप्रार्थी सं. 1 व पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण सीमा कायम कराने हेतु पत्थरगढ़ी का प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हो गया है, प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि के पूर्वी व पश्चिमी दिशा में सीमा कायम नही होने पर प्रार्थी को आर्थिक नुकसान होगा तथा अशान्ति फैलने की आंशका है तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में पूर्वी व पश्चिमी दिशा की सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाई जाना आवश्यक है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि उसकी खातेदारी शुदा भूमि खसरा नम्बर 3394/2844 की पूर्वी व पश्चिमी सीमा कायम कर पत्थरगढ़ी की आज्ञा प्रसारित करने क अनुकम्पा करावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी सं. 2 एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित आये जिन्होने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया, अप्रार्थी सं. 3 ने किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नही किया।

अप्रार्थी सं. 2 सोहनलाल ने जवाब में कथन किया है कि दिनॉक 29.06.2017 की सीमाज्ञान रिपोर्ट सही नही है, उक्त प्रकरण में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3394/2844 रकबा 0.4045 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 1 श्यामलाल के खसरा नम्बर 2844/1663 में से खरीद की पत्पश्चात नामान्तरकरण सं. 4619 दिनॉक 12.03.2015 को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हुआ है, दिनॉक 10.12.2015 को इससे पूर्व तहसीलदार कुचामनसिटी के आदेशानुसार आर.आई. कुचामनसिटी एव पटवारी हल्का कुचामनसिटी द्वारा खसरा नम्बर 1663 रकबा 0.87 हैक्टर खसरा नम्बर 2844/1663 का सीमाज्ञान किया गया उक्त रिपोर्ट में यह दर्शित किया है कि मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरान का मौके पर रकबा पूर्ण नही है, खसरा नम्बर 1663 की पश्चिमी सीव मौके पर सर्वे सीट अनुसार 4 मीटर कम पाई गई व खसरा नम्बर 1724 की दक्षिणी सींव का पश्चिमी कोना 4 मीटर मौके पर कम पाया गया तथा खसरा नम्बर 1663 की पूर्वी सींव व खसरा नम्बर 2844/1663 की पश्चिमी सीवं का नाप नक्शे अनुसार 86 मीटर

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आता है जो मौके पर 65 मीटर ही पाया गया, उक्त नाप अनुसार 21 मीटर भूमि उत्तर की तरफ दबी हुई पाई गई जो अप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमिया है, अप्रार्थी सं. 2 की भूमि मौके पर कम है तथा उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 1646 की भूमि में दबी हुई है तथा पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 3394/2844 खसरा नम्बर 2844/1663 में अप्रार्थी सं. 2 की भूमि पूर्वी तरफ दबी हुई है इसलिए सही नाप भू–मापक टीम व सेटलमेंट अधिकारियो से स्थाई बिन्दू मुटाम मानकर न्यायहित में करवाया जाना आवश्यक है, अप्रार्थी द्वारा पहले से प्रकरण सं. 25/2016 सोहनलाल बनाम महेन्द्रसिंह के नाम से न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है, खसरा नम्बर 1723, 1724, 1727, 1663, 2844/1663, 3394/2844 व 2845/1725 व खसरा नम्बर 1646 आदि में कालोनिया बसी हुई है तथा सघन आबादी है मकान आदि बने हुये है इसलिये ऐसी स्थिति में इन खसरान के रकबो को मंतकिल बिन्दू मानकर सही नाप चौक किया जाना बिना भूमापक टीम व सेटलमेंट अधिकारियो के द्वारा किया जाना संभव नही है इसलिये उपरोक्त खसरा नम्बरान की सीमाज्ञान (मौका रिपोर्ट) पुनः भूमापन व सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा करवाया जावे, अप्रार्थी सं. 2 का निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में खसरा नम्बरान की सर्वे सीट नक्शे अनुसार पूर्ण रकबे का ज्ञान सही नाप चौक हेतु भूमापक टी व सेटलमेंट अधिकारियो से मंगवाये जाने के लिए व मौका कमिश्नर रिपोर्ट व सीमाज्ञान करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.6.17 की छाया प्रति, नक्शा ट्रेस की छाया प्रति, जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–73 की छाया प्रति प्रस्तुत की, अप्रार्थी सं. 2 द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये।

प्रकरण में उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। दोनो अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया है। मौका रिपोर्ट दिनॉक 29.6.2017 का अवलोकन किया गया जिसमे कथन अंकित है कि खसरा नम्बर 3394/2844 में दर्शाये गये बिन्दू संख्या A B C D जो कि खसरा नम्बर 1663 में मिला हुआ है तथा खसरा नम्बर 1663 के खातेदार द्वारा ही मौके पर बाजरे की फसल बोई हुई है तथा तारबंदी की हुई है तथा खसरा नम्बर 3394/2844 में दर्शाये बिन्दू C,D, E, F वाला क्षेत्र मौके पर खाली पड़ा है। अप्रार्थी सं. 2 ने अंकित तथ्यों के समर्थन में मौका रिपोर्ट 23.12.2015 की नकल की छाया प्रति प्रस्तुत की, जिसमें संबंधित राजस्व कर्मचारियो की गठित टीम ने ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 1663, 2844/1663, 1552, 2865/1552 की भूमि के संबंध में नाप चौक कर रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 1663, 2844/1663 की भूमि मौके पर पूर्ण नही है। दिनॉक 29.06.2017 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट भी स्पष्ट नही है चूँकि उपरोक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि खसरा नम्बर 3394/2844 में दर्शाये गये बिन्दू सं. A B C D जो कि खसरा नम्बर 1663 में मिला हुआ है तथा खसरा नम्बर 1663 के खातेदार द्वज्ञरा ही मौके पर बाजरे की फसल बोई हुई है। उपरोक्त विवेचन एवं रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट स्पष्ट नही है

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

इसलिए प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है तथा न ही किसी भी दृष्टि से साबित होता है, अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढ़ी व सीमा कायम करने अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनॉक 5/8/2022 को सरे इजलास सुनाया गया

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)